Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम [illegible])

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

नानूराम बनाम श्यामसुन्दर वगै

किस्म मुकदमा – 212 आर टी एक्ट

न. मुकदमा 2*3/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिकिशाफ जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
[illegible].2023	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री श्यामदीन परिहार एव धनपतराय गौड़ द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को रजि. एडी जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अत प्रकरण मे आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की जारी की जाती है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही कालू खसरा नम्बर 2994 / 2375 रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि हस्ब तरमीम नक्शा मे प्रार्थी के कब्जाकाश्त एव मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करे। यह आदेश DILRMP एव भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एव रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध मे प्रभावी नहीं होगे। इसमे यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनाक 11.09.2023 को पेश हो। [signature]	जारी 1353 03/8/23
11/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी उपस्थित। जरिये प्रार्थना पत्र पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्टेज पर [illegible] हेतु निवेदन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र बाबत विड्रावल स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्टेज पर [illegible] विड्रावल [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] में [illegible] बाद [illegible] दाखिल [illegible] हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	नानूराम [illegible]